न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 30/23 (वाद)
GCMS No. : 2023/57

अनवान

1. श्री भंवरलाल पिता किशनलाल महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री नारायण पिता मोती गाडरी निवासी जेवाणा तहसील मावली।
2. श्री हजारी पिता अमरा गाडरी निवासी जेवाणा तहसील मावली।
3. श्री अजयकुमार पुत्र रेखादेवी संरक्षक पिता सुरेश कुमार महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
4. अनोखीबाई पुत्री दीपचन्द महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
5. टमुबाई पुत्री दीपचन्द महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
6. निमिता पुत्री रेखादेवी संरक्षक पिता सुरेश कुमार महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
7. श्री बसन्तीलाल दत्तक पिता दीपचन्द महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली।(ड्रोप)
8. रामुबाई पुत्री दीपचन्द महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
9. लीलाबाई पुत्री दीपचन्द महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
10. सज्जनबाई पुत्री दीपचन्द महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
11. पटवारी, पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 05.02.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली की आराजी नम्बर 1640 रकबा 0.0647 हेक्टेयर आ.चा. (कुआ) भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 10 के नाम पर हिस्सानुसार ... खातेदारी हक से अंकित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:52 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि उक्त वर्णित आ.चा. (कुआ) के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 10 सहखातेदार है तथा उक्त वर्णित आ.चा. (कुआ) का एवं इसकी भूमि का हम सहखातेदारों द्वारा ही उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं। उक्त आ.चा. (कुआ) व इसकी भूमि से प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कोई लेना–देना अथवा हक अधिकार नहीं रहा हैं। उक्त वर्णित आ.चा. (कुआ) अथवा इसके आस पास की भूमियों से कोई लेना देना नहीं रहा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1, 2 झगडालु प्रवृति के लोग है जो अभी कुछ पूर्व से ही एक–दूसरे के सहयोग से हमारी उक्त आ.चा. (कुआ) की भूमि पर अतिक्रमण करके कब्जा करने की नियत से गोबर डालकर इक्कठा करने लग गये जिस पर मुझ वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 2 को आ.चा. (कुआ) की भूमि में अनाधिकार रूप से अतिक्रमण नहीं करने एवं गोबर नहीं डालने हेतु मौतबीरान के मार्फत प्रतिवादी संख्या 1, 2 को समझाईश की गई तो प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने हमे भरोसा दिलाया कि वो शीघ्र ही डाले गये गोबर को हटा देगे और भविष्य में हमारे खातेदारी की आ.चा. (कुआ) के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेगा और न ही अतिक्रमण करेंगे, न ही गोबर की खाद डालेगे। जिससे मैने प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्व आगे कोई कार्यवाही नहीं कराई। इसके बाद कुछ समय तक तो प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने गोबर डालना बन्द रखा तथा हमने जब भी डाले गये गोबर को हटाने के लिए कहा तो आजकल में हटाने की बात कहते रहे और टालम टोली करते हुए धीरे–धीरे पुनः उक्त आ.चा. (कुआ) पर गोबर डालना शुरू करके काफी मात्रा में गोबर डाल दिया। लेकिन मुझ वादी ने व्यर्थ की मुकदमेबाजी से बचने की मन्शा से प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्व कोई कार्यवाही नही करवाई।

3. यह कि मुझ वादी इतने समय जब भी प्रतिवादी संख्या 1, 2 हमारी उक्त आराजी चाह से गोबर हटाने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1, 2 आजकल–आजकल में हटाने की बात कहते रहे लेकिन अभी तक इनके द्वारा हमारी उक्त आराजी चाह पर इक्कठा की गई गोबर को नही हटाया। मुझ प्रार्थी ने अभी दिनांक 11.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 से सम्पर्क कर उक्त आराजी चाह पर इक्कठे किये गये गोबर को शीघ्र ही हटा देने की बात कही गई तो प्रतिवादी संख्या 1, 2 [illegible] गाली गलोच करते हुए लडाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:52 IST
Reason: SelfAttested

झगडा करने लग गये और हमारी आराजी चाह की भूमि पर इक्कठे किये गये गोबर को हटाने से साफ तौर पर मना कर दिया और धमकी दी कि किसी ने गोबर हटाने की कोशिश की तो वो उसे जान से खतम कर देगे। जबकि प्रतिवादी संख्या 1, 2 हमारी आराजी चाह की भूमि से कोई लेना–देना नहीं हैं। मैं वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 10 भोले भाले होकर साधारण व्यक्ति है जिस बात का नाजायज फायदा उठाते हुए एवं हमारी आराजी चाह की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए और यह जानकारी होते हुए कि उक्त आराजी चाह हमारे खाते कब्जे की है और डाले गये गोबर को उठाने हेतु कई मर्तबा मौखिक रूप से भी कहा गया था इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने हमारी बहुमूल्य आराजी चाह की भूमि को हडपने की बदयान्ति से अनाधिकार रूप से गोबर इक्कठा कर अतिक्रमण कर लिया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1, 2 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वाद वर्णित आराजी चाह के मैं वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 10 सहखातेदार है इसलिए मैं वादी प्रतिवादी संख्या 1, 2 को आराजी चाह की भूमि से कानूनन बेदखल करा कब्जा प्राप्ति का अधिकारी हूं और इक्कठे किये गये गोबर को जब्त सरकार कराने का अधिकारी हूं जिस हेतु माननीय न्यायालय में मुझ वादी की ओर से अविलम्ब यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है जो पूर्व में भी कई बार मेरे साथ गाली गलोच कर चुके है और मरने मारने की धमकीया भी दी गई है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 के आतंक से गांव के लोग इनके खिलाफ गवाही देने से भी डरते है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 धनाढ्य व्यक्ति होने के कारण इनका पुलिस में भी प्रभाव है इसलिए मुझ वादी को न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के खिलाफ यह वाद पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है और विवश होकर यह वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1, 2 के खिलाफ मुझ वादी की आरे से प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वर्तमान में जमीनों की कीमतो में काफी इजाफा हो गया है और हमारी आराजी चाह की भूमि रास्ते के किनारे पर है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मन में भी लोभ व लालच की भावना जागृत हो गई है और वह हमारे खाते की आराजी चाह की भूमि को नाजायज तरीके से हडपना चाहते है तथा अपने नाजायज उद्देश्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:52 IST
Reason: SelfAttested

की पूर्ति करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने इसके कुछ भू भाग पर गोबर इक्कठा करके अतिक्रमण कर लिया है तथा मैने उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1, 2 को कई बार कहा लेकिन ये लोग टालम टोली करते हुए अंत में इन्कार हो गये और लडाई झगडा किया। जबकि प्रतिवादी संख्या 1, 2 को उक्त वर्णित आराजी चाह की भूमि पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्व आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी करा न्यायहित में प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा अवैद्यानिक रूप से वाद में वर्णित आराजी चाह की भूमि पर किये गये अतिक्रमण एवं गोबर को हटवाने एवं अपनी खातेदारी की भूमि का कब्जा प्राप्ति का अधिकारी हूं।

5. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित आराजी चाह की भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 10 की संयुक्त खातेदारी हक की है जिस पर हम ही उपयोग उपभोग करते आये है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने जोर जबरदस्ती इस आराजी चाह की भूमि के कुछ भू भाग पर अनाधिकार रूप से गोबर इक्कठा करके अतिक्रमण कर लिया तथा अब और भूमि पर भी जबरदस्ती अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 वाद में वर्णित आराजी चाह की भूमि के किसी भी भू भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, गोबर नहीं डाले, कब्जा नहीं करे, हमारे उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी संख्या 1, 2 को कोई क्षति या नुकसान नहीं होगा बल्कि आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी असुविधा एवं क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में आंका जाना सम्भव नहीं होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ वादी को वाद कारण दिनांक 11.06.2023 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा हमारी सहखातेदारी की आराजी चाह की भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:52 IST
Reason: SelfAttested

किये गये अतिक्रमण एवं इक्कटा किये गये गोबर को हटाने से इन्कार कर दिया और मरने मारने पर उतारू हुआ, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने वाद में वर्णित आराजी चाह की भूमि पर अनाधिकार रूप से गोबर डालकर कब्जा कर रखा है उसे प्रतिवादी संख्या 1, 2 के खर्चे से हटाया जाकर मुझ वादी को उक्त भूमि का कब्जा सिपूर्द कराया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को भविष्य में इस भूमि पर कब्जा नहीं करने एवं निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया जावें। मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 1, 2 के अवैध अतिक्रमण एवं गोबर हटाये जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 1, 2 उक्त आराजी चाह की भूमि में पुनः कब्जा नहीं करे, वादी के उपयोग उपभोग में विघ्न एवं बाधा पैदा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, नुकसान नहीं पहूंचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के मार्फत ही करावे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 से 10 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही को ड्रोप किया जा चुका हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री भंवरलाल स्वयं वादी का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज मौजा जेवाणा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 501 प्रदर्श 1, मौजा जेवाणा का आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, वादग्रस्त आराजीयात के फोटो ग्राफ्स प्रदर्श 3 से 6 करवाये गये।

9. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:52 IST
Reason: SelfAttested

10.हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 501 पर दर्ज आराजी नम्बर 1640 रकबा 0.0647 हेक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 10 के नाम सहखातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2 को राजस्व नकल जमाबंदी अनुसार कोई हक हिस्सा निहित होना प्रतित नही होता है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 10 के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कोई हक हिस्सा ही निहित नही है तो ऐसे में बाहुबल के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 को कब्जा करने का कोई अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा प्रदर्श 3 से 6 मौके के फोटोग्राफ्स अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 10 की सहखातेदारी की भूमि में रोड़ी एवं गोबर की खाद डाल रखी है। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 10 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 10 की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा जबरन कब्जा कर रोड़ी एवं गोबर की खाद डालकर उनकी भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 10 को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 को आदेश दिया जाता है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 501 पर दर्ज आराजी नम्बर 1640 रकबा 0.0647 हेक्टेयर भूमि से रोड़ी एवं गोबर की खाद हटाते हुए वादी के कब्जे काश्त [illegible]न्दाजी नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:52 IST
Reason: SelfAttested

से पाबंद रहें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर</u>

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 30/23 (वाद)

GCMS No. : 2023/57

<u>उनवान्</u>

1. श्री भंवरलाल पिता किशनलाल महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री नारायण पिता मोती गाडरी निवासी जेवाणा तहसील मावली।
2. श्री हजारी पिता अमरा गाडरी निवासी जेवाणा तहसील मावली।
3. श्री अजयकुमार पुत्र रेखादेवी संरक्षक पिता सुरेश कुमार महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
4. अनोखीबाई पुत्री दीपचन्द महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
5. टमुबाई पुत्री दीपचन्द महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
6. निमिता पुत्री रेखादेवी संरक्षक पिता सुरेश कुमार महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
7. श्री बसन्तीलाल दत्तक पिता दीपचन्द महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली।(ड्रोप)
8. रामुबाई पुत्री दीपचन्द महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
9. लीलाबाई पुत्री दीपचन्द महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
10. सज्जनबाई पुत्री दीपचन्द महाजन निवासी जेवाणा तहसील मावली। (ड्रोप)
11. पटवारी, पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम</u>

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 को आदेश दिया जाता है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं[illegible] दर्ज आराजी नम्बर 1640 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:52 IST
Reason: SelfAttested

0.0647 हेक्टेयर भूमि से रोड़ी एवं गोबर की खाद हटाते हुए वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.02.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:52 IST
Reason: SelfAttested